झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–30 / 2020

थाडियस खाखा उर्फ थाडियस .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री कृपा शंकर नन्दा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री कृपा शंकर नन्दा, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री शिव शंकर कुमार, राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को कामदारा थाना काण्ड संख्या 47 / 2019 के सम्बन्ध में अभियुक्त बनाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा खेत में रखे गए नग्नतार के संपर्क में आने पर सूचक का बेटा गलती से विद्युत के संपर्क में आ गया। लगता है कि पूरी घटना याचिकाकर्त्ता की लापरवाही के कारण हुई है। याचिकाकर्त्ता 19.09.2019 से हिरासत में है।

अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को, 10,000 / – (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने

पर, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गुमला के संतुष्टि पर, कामदारा थाना काण्ड संख्या 47/2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)